समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक................/गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक......................

विषय : प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 06-07-2015 को श्री उदय कृष्ण यादव, पिता-स्व0 मिन्ती लाल यादव, थाना- जानकीनगर, जिला-पूर्णियाँ, सम्प्रति अंचल अधिकारी, मधेपुरा सदर एवं श्री जयप्रकाश स्वर्णकार, पिता-स्व0 सुखदेव प्रसाद स्वर्णकार, थाना-कसबा, जिला-पूर्णियों सम्प्रति अंचल अधिकारी, मुरलीगंज द्वारा अधोहस्ताक्षरी से मिलकर एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें सूचित किया गया है कि दिनांक 06-07-2015 को 02:26 बजे अप0 में मोबाईल नम्बर 9430028564 से (अंचल अधिकारी, मधेपुरा सदर को) एवं 7260923963 से (अंचल अधिकारी, मुरलीगंज को) अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोनों अंचलाधिकारियों के सरकारी मोबाईल नं0- 8544412633 /8544412634 पर फोन किया गया एवं धमकी दी गयी कि पांच दिनों के अन्दर खाता संख्या-3273827528, IFSC Code CBIN No 283034 में पांच-पांच लाख अविलम्ब जमा करें अन्यथा अंजाम गलत होगा। उक्त धमकी के आलोक में दोनों अंचलाधिकारी द्वारा मधेपुरा सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक......................../गो0, मधेपुरा, दिनांक......................

प्रतिलिपि : श्री उदय कृष्ण यादव, पिता–स्व0 मिन्ती लाल यादव, थाना– जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ, सम्प्रति अंचल अधिकारी, मधेपुरा सदर / श्री जयप्रकाश स्वर्णकार, पिता–स्व0 सुखदेव प्रसाद स्वर्णकार, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ सम्प्रति अंचल अधिकारी, मुरलीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1810 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 07/07/2015

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी (मुरलीगंज /मधेपुरा छोड़कर) /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी वरीय उप समाहर्त्ता /सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इस प्रकार के फोन कॉल आने पर अविलम्ब संबंधित थाने में प्राथमिक दर्ज करायी जाए। इस तथ्य से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों /कर्मियों को भी अवगत करायी जाए।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

मधेपुरा।